

ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला , विकास खण्ड हरोली , जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रमुख सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	1-04-2015 से 22-01-2016
2	श्रीमती रीता देवी	23-01-2016 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री यशपाल	1-04-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत , गोंदपुर बुल्ला के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.74
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	4.20
3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	8.23
4	9	उचित बिलों के बगैर निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.14
5	10	क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न करना	9.73

6	11	मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हस्तान्तरण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.38
---	----	--	------

## भाग – दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 9-05-2018 से 16-05-2018 तक ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

आय:- 1/16, 10/16 व 7/17

व्यय:- 9/15, 2/17 व 3/18

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 120 दिनांक 9-05-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 292888 दिनांक 9-05-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है।

### 4 (क) वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के स्वः स्रोत व अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –क पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	369392	5997242	17095	6383729	5687549	696180
2016-17	696180	3381836	35802	4113818	2695197	1418621
2017-18	1418621	2705061	71920	4195602	3617260	578342

(i) स्वयं स्रोत :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	108723	15188	12864	136775	43347	93428
2016-17	93428	18184	32028	143640	79033	64607
2017-18	64607	15665	65793	146065	57888	88177

(ii) अनुदान :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	240194	2902802		3142996	2815605	327391
2016-17	327391	1832801		2160192	923921	1236271
2017-18	1236271	1718420		2954691	2534740	419951

iii) आई० ए० वाई० :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	20268	300000	1388	321656	300000	21656
2016-17	21656	242500	1232	265388	205000	60388
2017-18	60388	322500	3484	386372	347500	38872

iv) आई० डब्ल्यू० एम० पी० अंशदान :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	30569	0	30569	80	30489
2017-18	30489	0	853	31342	0	31342

v) आई० डब्ल्यू० एम० पी० :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	207	0	0	207	0	207
2016-17	207	372645	0	372852	372852	0
2017-18	0	0	0	0	0	0

vi) ग्रामीण हट:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	1250100	2843	1252943	999445	253498
2016-17	253498	0	2542	256040	229174	26866
2017-18	26866	226000	1790	254656	254656	0

vii) मनरेगा :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	1529152	0	1529152	1529152	0
2016-17	0	885137	0	885137	885137	0
2017-18	0	422476	0	422476	422476	0

अन्त शेष का विवरण :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2018 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक में जमा राशि	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
1	स्वयं स्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० दुलेहढ	20048031376	508128	508128	
2	आई० ए० वार्ड०	यू० को० बैंक दुलेहढ	14090110020708	38872	38872	
3	आई० डब्ल्यू० एम० पी० अंशदान	यू० को० बैंक दुलेहढ	14090110060353	31342	31342	
4	आई० डब्ल्यू० एम० पी०	के० सी० सी० सी० बी० दुलेहढ	50058091002	0	0	
5	ग्रामीण हट	के० सी० सी० सी० बी० दुलेहढ	50061993040	0	0	

6	मनरेगा के० सी० सी० सी० बी० दुलेहढ	20152001772	0	0
---	--	-------------	---	---

योग

₹578342 ₹578342

**(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की जा रही है। इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ग) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-**

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

**(घ) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग - अलग छः रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर छः रोकड़ बहियों को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए एक ही रोकड़ बही तैयार की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ड.) नियमों के विरुद्ध बैंक बचत खातों को खोला जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दो के स्थान पर गत पैरा 4(1) में वर्णित छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं । अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में दो खातों के अतिरिक्त अन्य खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

**(च) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जायगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सकी । अतः वर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

**5 पंचायत राजस्वर ₹0.74 लाख वसूली हेतु शेष :-**

सचिव ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-201 8 तक पंचायत के राजस्व ₹74260 वसूली हेतु शेष थी , जिसका विवरण परिशिष्ट -ख पर भी दिया गया है।

**(i) गृहकर :-**

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	19040	19040	38080	1900	36180
2016-17	36180	19040	55220	0	55220
2017-18	55220	19040	74260	0	74260

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**6 अनुदान ₹4.20 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट -क के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹419951 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

**7 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31-03-18 तक 8 दुकानों को किराये पर न देने के कारण किराये के रूप में हो रही हानि बारे :-**

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा ग्रामीण हट स्कीम के अधीन दिनांक 10-10-2017 तक 10 दुकानों को तैयार किया गया, जिसमें से 5 दुकानें नजदीक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी गोंदपुर बुल्ला व 5 दुकानें नजदीक पब्लिक पार्क गोंदपुर बुल्ला में बनाई गई हैं। उक्त दुकानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं।

(क) उक्त 10 दुकानों में से दिनांक 31-03-18 तक केवल 2 दुकानें ही मासिक किराये पर दी गई हैं व शेष 8 दुकानें खाली हैं, दुकाने खाली रहने के कारण ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष किराये के रूप में लाखों रुपए की वित्तीय हानि हो रही है। अतः उक्त 8 खाली दुकानों को खुली बोली द्वारा मासिक किराये पर न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अति शीघ्र खाली दुकानों को खुली बोली द्वारा मासिक किराये पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा 2 दुकानों को मासिक किराये पर दिया गया है, लेकिन उक्त दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित नीलामी की प्रक्रिया, दुकानदारों से किए गए अनुबन्ध, दुकानों को किस अवधि से किस अवधि तक किराये पर दिया गया व मासिक किराये का निर्धारण किस आधार पर किया गया से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8 औपचारिकताओं को पूर्णकिए बिना ₹8.23 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट ग में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹823023 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9 उचित बिलों के बगैर ₹3.14 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-**

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वयं स्रोत व अनुदान निधि से परिशिष्ट -घ पर दिए गए विवरणानुसार ₹314145 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹314145 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्ति कर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

**10 ₹9.73 लाख के क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न करना :-**

जाँच के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट -ड पर दिए गए विवरणानुसार ₹973299 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**11 मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹3.38 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा परिशिष्ट -च. पर दिए गए विवरण अनुसार करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹338018 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश ( FTO) अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितनी मजदूरी मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है। अतः उक्त मस्टररोलो के अंतर्गत

भुगतान की गई मजदूरी ₹338018 के फण्ड हस्तान्तरण आदेश ( FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

**(ख) परिशिष्ट -चर** दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 65 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹338018 से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ जहाँ पर कार्य प्रगति (progress) दर्ज है, अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

**12 अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-18 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार “ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट ( cubic foot) के अनुसार” परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेत, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेत, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है। जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेत, बाजरा, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेत, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेत, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**13 स्रोत पर कर कटौती न करना :-**

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

**14 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

**15 नियमानुसार निवेश न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई भी निवेश नहीं किया गया था। जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप - 1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**16 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(i) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था। जो कि पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

**17 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

- (i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान
- (ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य
- (iii) महिला मंडल से एक सदस्य
- (iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा निर्माण कार्यो हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वयं करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यो हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**18 विहित रजिस्टरो का रख-रखाव न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरो/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरो/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरो/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यो का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

**19 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना :-**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**20 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 पर पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**21 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना :-**

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(क) इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 में प्राबधित फॉर्म -2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।

(ख) खाली रसीद बुकें सचिव की निजी अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।

(ग) नई रसीद बुकों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाण पत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह दायित्व है कि जिला पंचायत

अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप “ 4” के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**22 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**23 लघु आपति विवरणिका- यह अलग से तैयार नहीं की गई है।**

**24 निष्कर्ष :-**लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है।

हस्ता/-  
(राम सिंह चौहान)  
सहायक निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(v) 37 / 2018 खण्ड-1-5326-5329 दिनांक 07.08. 2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि०प्र०।

हस्ता/-  
(राम सिंह चौहान)  
सहायक निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं० 0177-2620046